न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 1276/2020 तारीख रजू:– 04.08.2020

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

दशरथ पुत्र किशोर जाति जाट निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————————— वादी

बनाम

1. भगवानसहाय पुत्र महताव
2. योगेश पुत्र सुमरन
3. विष्णु पुत्र भगवानसिंह

जाति जाट निवासी पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :– 4-3-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् बेदखली विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.30 है0 स्थित ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन वादी एवं उसके परिवारजनों की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसमें वादी का 4/9 हिस्सा एवं वादी के भाई बनवारी का 4/9 हिस्सा, एवं मु0 मिट्टो जो कि वादी की बहिन है का 1/9 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। लेकिन वादी की बहिन की शादी हो चुकी है और वह अपनी ससुराल में निवास करती है, इसलिए मौके पर वादी एवं उसका भाई बनवारी उक्त खसरा नम्बर के 1/2 1/2 हिस्से पर काबिज एवं दखील है, जिसका खातेदारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 1265 हिण्डौन से श्रीमहावीरजी वाली मुख्य सडक पर स्थित होने के कारण प्रतिवादीगण की नजर में है और वे येन केन प्रकारेन वादी की आराजी को जबरन डण्डे के बल पर वादी से हडपने को आमादा है, जिसके चलते प्रतिवादीगण ने वादी के सडक किनारे वाले हिस्से में एक पाटौर दिनांक 30.06.2020 की रात्रि को डालकर अतिक्रमण कर लिया है, अगले दिन वादी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by And
Date: 2022.06.18 12:32
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (क

प्रतिवादीगण से अतिक्रमण करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हमने रोड सीमा में पाटौर डाली है, यदि तुम्हारे खेत में पाटौर आती है तो हम इसे हटा लेंगे। इसके बाद वादी ने कई मर्तवा प्रतिवादीगण से अपने खेत से उक्त अतिक्रमण हटाने बाबत् कहा है लेकिन प्रतिवादीगण अपने अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं, इसलिए मजबूरन वाद दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि विनाय दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण , प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.06.2020 को रात्रि को वादी की खातेदारी की भूमि में पाटौर डालने एवं अब उक्त पाटौर को नहीं हटाने से बमुकाम पटौंदा तहसील हिण्डौन इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बलिहाज पैदा होने विनाय दावा, सकूनत फरीकेन व विवादित आराजी वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन होने से एवं विवादित आराजी कृषि लगानी भूमि होने से दावा हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त हैं।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 1265 में रोड साईड में पाटौर डालकर जो अतिक्रमण किया है, उसे स्वंय के खर्चे से हटा लेंवे। नहीं हटाने की सूरत में जरिये पुलिस प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाटौर को हटवाने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रदर्श–1, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस प्रदश–2 पेश की है तथा जुवानी सहादत में वादी दशरथ ने स्वंय के बयान कराये हैं।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम प[illegible] हिण्डौन की खातेदारी दशरथ पुत्र किशोर हिस्सा 4/9 [illegible] 4/9, मिट्टो पुत्री किशोर हि01/9 जाति जाट स[illegible] खातेदार के [illegible] दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी [illegible]वादित आराजी खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन में हिस्सा 4/9 भाग का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं होना साबित है। यदि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात में अपना कोई हित निहित होता तो न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र करता किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए हैं। जिससे साफ जाहिर है कि प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की खातेदारी की भूमि या सडक की सरकारी भूमि में जो पाटौर डालकर अतिक्रमण किया है उससे प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् बेदखली विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् बेदखली डिक्री किया जाकर तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी एवं थानाधिकारी, थाना श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1265 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा की भूमि में या सडक सीमा में प्रतिवादीगण के द्वारा पाटौर डालकर किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही करें एवं पालना रिपोर्ट अन्दर 30 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। अतिक्रमण हटाने से पूर्व प्रतिवादीगण स्वंय को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करें। नोटिस देने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो अतिक्रमण हटाने की तारीख निश्चित करते हुए एवं थानाधिकारी श्रीमहावीरजी को सूचित करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी एवं थानाधिकारी, थाना श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.18 12:32:44 IST
Reason: SelfAttested